फाइल सं. क्यू-14018/100 दिन/2014-डीडब्लूएस (सांख्यिकी)
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
****

नवां तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक 12 जून, 2014

सेवा में,
सचिव/प्रधान सचिव
(पीएचईडी के प्रभारी)
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने सभी मंत्रालयों को 100 दिन का एजेंडा तैयार करने का निदेश दिया है, तदनुसार, इस मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के लिए अगले 100 दिनों अर्थात अगस्त, 2014 तक प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य निश्चित किए हैं। आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं :

क्र.सं.	श्रेणी	अगस्त, 2014 तक प्राप्त करने हेतु लक्ष्य (संख्या में)
1.	आंशिक रूप से कवर (पीसी) की गई बसावटें	संलग्न तालिका के अनुसार राज्यवार लक्ष्य है
2.	गुणवत्ता प्रभावित (क्यूए) बसावटें	
3.	व्यक्तिगत परिवार को पाइप द्वारा जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए परिवारों की कवरेज	
4.	पाइप द्वारा जलापूर्ति से कवर की गई ग्रामीण बसावटें	
5.	सौर ऊर्जा चालित पाइप द्वारा जलापूर्ति से बसावटों की कवरेज	

2. ये लक्ष्य प्रधानमंत्री के कार्यालय को भी भेजे गए हैं तथा उपर्युक्त लक्ष्यों की प्रगति/उपलब्धि की मॉनिटरिंग (जाँच-पड़ताल) सीधे प्रधानमंत्री के कार्यालय तथा इस मंत्रालय द्वारा अगले 100 दिनों में की जाएगी। अतः समय-तालिका का पालन करने के लिए आपसे अनुरोध किया जाता है कि अपने स्तर पर आवश्यक कदम/कार्रवाई की शुरूआत करें। आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त लक्ष्य के संबंध में प्रगति की सूचना इस मंत्रालय की आइएमआइएस पर उपलब्ध प्रोफार्मा में भेजें।

भवदीया
(संध्या सिंह)
संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी/एमएण्डई)
टेलीफैक्स: 011-24364112

प्रति :
1. सचिव (डीडब्लूएस) के प्रधान निजी सचिव।
2. संयुक्त सचिव (जल) के निजी सचिव।
3. तकनीकी निदेशक (एनआईसी): मंत्रालय की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु तथा इसके मॉनिटरिंग के लिए प्रोफार्मा बनाने हेतु ।

क. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आंशिक रूप से कवर की गई बसावटें	गुणवत्ता प्रभावित बसावटें	पाइप द्वारा जलापूर्ति से कवर किए गए व्यक्तिगत परिवार	पाइप द्वारा जलापूर्ति योजना से कवर की गई बसावटें	सौर ऊर्जा पर आधारित दोहरे पंप से पाइप द्वारा जलापूर्ति (आईएपी) से कवर की गई बसावटें
1.	आंध्र प्रदेश	1437	26	3600	538	106
2.	बिहार	2318	572	2500	36	195
3.	छत्तीसगढ़	2086	308	3000	26	351
4.	गोवा	0	0	0	0	-
5.	गुजरात	225	21	1089	198	-
6.	हरियाणा	208	1	10889	79	-
7.	हिमाचल प्रदेश	644	0	2500	232	-
8.	जम्मू एवं कश्मीर	244	1	10926	81	-
9.	झारखण्ड	3097	13	218	182	688
10.	कर्नाटक	1983	317	15820	1357	-
11.	केरल	199	18	32667	76	-
12.	मध्य प्रदेश	2910	207	14156	245	298
13.	महाराष्ट्र	1065	68	259329	445	26
14.	ओड़िसा	2800	311	10000	193	994
15.	पंजाब	394	48	17423	132	-
16.	राजस्थान	409	166	700	304	-
17.	तमिलनाडु	1406	64	6534	557	-
18.	उत्तर प्रदेश	6181	118	4000	341	68
19.	उत्तराखण्ड	276	1	3512	97	-
20.	पश्चिम बंगाल	710	218	20755	257	274
21.	अरूणाचल प्रदेश	73	2	0	27	-
22.	असम	1043	370	5233	414	-
23.	मणिपुर	64	0	142	22	-
24.	मेघालय	144	7	0	51	-
25	मिजोरम	12	0	0	4	-
26.	नागालैंड	9	6	0	8	-
27.	सिक्किम	52	0	871	15	-
28.	त्रिपुरा	7	136	436	83	-
29.	अंडमान एवं निकोबार	0	0	50	0	0
30.	चंडीगढ	0	0	0	0	0
31	दादर एवं नागर हवेली	0	0	0	0	0
32	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0
33	दिल्ली	0	0	0	0	0
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
35	पुदुचेरी	4	1	0	0	0
	कुल	30000	3000	426350	6000	3000

पिछले वर्ष के लक्ष्य/कवरेज तथा 2014–15 के एएपी के लक्ष्यों के आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लक्ष्य का निर्धारण किया गया है।

संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी/एमएण्डई)